

कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या :- 3/

राँची-2 दिनांक :- 19/5/15

वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0-4/यो0 बजट-42/2010-2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.05.15 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु अनुसूचित कार्य दर की अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा दर का अनुमोदन किया गया। विभागीय एवं गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना का दर

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) : 187.43

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	कार्य का विवरण	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
क	अंगिम कार्य (प्रथम वर्ष)						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	562.29	0.00	562.29	
2	झाड़ी सफाई		0	0.00	0.00		
2.1	झाड़ी रहित	हे०	0	0.00	0.00	0.00	
2.2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	1312.01	0.00	1312.01	
2.3	घनी झाड़ी	हे०	10	1874.30	0.00	1874.30	
2.4	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हे०	10	1874.30	0.00	1874.30	
3	घेरान कार्य						

3.1	ट्रेंच घेरान - ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी., नीचे की चौड़ाई 1.22 मी., गहराई 1.22 मी. ड्रेसिंग सहित (मानव मजदूरी)	चेन	25	4685.75		4685.75	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रेंच खोदी गयी है तो ट्रेंच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दियस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हों।
3.2	मशीन द्वारा ट्रेंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आइटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	चेन	2	374.86	1963.79	2338.65	स्थल विशेष पर मशीन द्वारा ट्रेंच की खुदायी वन संरक्षक से अनुमति प्राप्त कर की जा सकती। सामग्री की राशि मशीन कार्य हेतु है।
3.3	पत्थर घेरान- ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी०, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी० उँचाई 1.00 मी०	चेन	25	4685.75	0.00	4685.75	
3.4	झाड़ी घेरान	चेन	6	1124.58	25.00	1149.58	
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 1000 पीट प्रति हे० (संरक्षण एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हे०	22	4123.46	0.00	4123.46	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेंशन डेम/कंदूर आदि (आवश्यकता	हे०	45	8434.35	0.00	8434.35	

6	अंश पौधशाला कार्य सत्री प्रहरी सहित	हे0	10	1874.30		1874.30	
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे0	0	0.00	1350.00	1350.00	
8	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	0.00	150.00	150.00	
ख. सम्पादन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य सत्री प्रहरी सहित	हे0	13	2436.59	0.00	2436.59	
2	वृक्षारोपण	हे0	22	4123.46		4123.46	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	25	4685.75	0.00	4685.75	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे0	2	374.86	0.00	374.86	प्रति हे0 औसत 5 चेन ट्रेंच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हे0 तक	स्थल	275	51543.25		51543.25	
5.2	30 हे0 से 60 हे0 तक	स्थल	550	103086.50		103086.50	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0	0.00	1575.00	1575.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0	0.00	150.00	150.00	
ग. सम्पादन कार्य (तृतीय वर्ष)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0	14	2624.02	0.00	2624.02	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	हे0	0	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा						
3 (क)	30 हे0 तक	स्थल	365	68411.95		68411.95	
3 (ख)	30 हे0 से 60 हे0 तक	स्थल	730	136823.90		136823.90	
4	घेरान मरम्मत	चेन	1	187.43	0.00	187.43	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	2	374.86	176.00	550.86	
घ. सम्पादन कार्य (चतुर्थ वर्ष)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0	14	2624.02	0.00	2624.02	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा						
3.1	30 हे0 तक	स्थल	365	68411.95		68411.95	
3.2	30 हे0 से 60 हे0 तक	स्थल	730	136823.90		136823.90	

4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हे0	2	374.86	176.00	550.86	
च	सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हे0	14	2624.02	0.00	2624.02	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0	0.00	300.00	300.00	
3	पौधों की सुरक्षा (60 हे0 तक)	स्थल	365	68411.95		68411.95	
4	घेरान की मरम्मत	चेन	1	187.43		187.43	
छ	सम्पोषण कार्य (छठा वर्ष)						
1	पौधों की सुरक्षा (60 हे0 तक)	स्थल	365	68411.95		68411.95	
ज	सम्पोषण कार्य (सप्तम वर्ष)						
1	पौधों की सुरक्षा (60 हे0 तक)	स्थल	365	68411.95		68411.95	

नोट :-

- (1) सात वर्षीय योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यो पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।
- (2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
- (3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।
- (4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।
- (5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।
- (6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।
- (7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक :- 468

दिनांक :- 13/5/15

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्यद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास

झारखण्ड, राँची